

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली पाली

प्रार्थीगण :-

बनाम

ग्राम पंचायत कोटडी व अन्य

मदनसिंह पुत्र हिरसिंह जाति राजपुत
निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटडी
तह. देसूरी जिला पाली राज.

1. ग्राम पंचायत कोटडी तह. देसूरी
जरिये ग्राम विकास अधिकारी ग्रा.प.
कोटडी प.स. देसूरी जिला पाली
2. नगराम पुत्र पकाजी जाति प्रजापत
निवासी कोटडी तह. देसूरी जिला
पाली राज.

किस्म मुकदमा : पंचायत निगरानी संख्या : 245 / 2024

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : (2024 / 276)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुक
19.03.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। राजस्व (ग्रुप-2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प.7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय पाली के पत्रांक/कोर्ट/2024/83 दिनांक 05.02.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान/वकुलाय को सूचित होकर पत्रावली दिनांक 22.05.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">N अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली</p>	<p>क्र. 583 दि. 19/03/24 को नोटिस जारी।</p>
22/5/24	<p>पत्रावली पेश हुई। उम्मीद मय अधिवक्ता उपस्थित। उम्मीद मय अधिवक्ता कर निवेदन किया कि उम्मीद मय निगरानी के मागे चलाना नहीं चाहिए निगरानी खारीज करमाई जाई। खर्च निगरानी जरिए विद्वां खारीज ही जारी हो। पत्रावली के जल सुमार होकर नम्बर के नम हो निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">N 22/5/24 अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली</p>	<p>मदनसिंह [Signature]</p>